न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं0 : 85/2018

1. मनीषकुमार पुत्र विनोदकुमार आयु 17 वर्ष
2. रोहित पुत्र विनोदकुमार आयु 12 वर्ष नाबालिगान जरिऐ कुदरती वली माता राजबाला पत्नी विनोदकुमार जाति गोस्वामी निवासी सरदारपुराबास भादरा तहसील भादरा।

– सायलान

बनाम

1. सागर पुत्र पूर्णगिरी जाति गोस्वामी निवासी सरदारपुराबास भादरा।
2. विनोदकुमार पुत्र सागर जाति गोस्वामी निवासी सरदापुराबास भादरा तहसील भादरा।
3. रमेशकुमार पुत्र सागर जाति गोस्वामी निवासी सरदारपुराबास भादरा तहसील भादरा।
4. तीजां पुत्री सागर जाति गोस्वामी निवासी सरदारपुराबास भादरा।
5. खुशी पुत्री सागर जाति गोस्वामी निवासी सरदारपुराबास भादरा।
6. रोशनी पुत्री सागर जाति गोस्वामी निवासी सरदारपुराबास भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
8. उपपंजीयक भादरा जिला हनुमानगढ़।

– गैरसायलान

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री प्रभुराम गोदारा व संदीप गोदारा **: सायलान**

वकील श्री महेन्द्र जांगिड़ **: गैरसायल सं0 1, 3 ता 6**

निर्णय **दिनांक :** 27.2.19

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 बीएचडी के वर्तमान खाता सं0 122/114 के मु0नं0 45 किला नं0 3, 6 ता 8, 13 ता 16, 24 व 25 मु0नं0 60 के किला नं0 4 कुल किता 11 की 2.783 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी में गैरसायल सागर का 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

उक्त वादभूमि पहले सायलान के परदादा पूर्णगिरी की खातेदारी हुआ करती थी। सायलान के परदादा के देहान्त होने पर उक्त भूमि गैरसायल सागर कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। जबकि उक्त गैरसायलान सं0 2 ता 6 को भी गैरसायल सागर के साथ बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी। गैरसायल सं0 2 विनोदकुमार को प्राप्त हिस्सा में सायलान को भी बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त कर लिया था। परन्तु रिकार्ड माल में कुल वाद भूमि तन्हा गैरसायल सागर के नाम से ही दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार वादभूमि में सायलान एवं गैरसायलान सं0 1 ता 6 हिन्दू होने एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होने के चलते वाद भूमि में सायलान

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वाद भूमि तन्हा गैरसायल सागर के नाम दर्ज रहने से सायलान के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद भूमि तन्हा गैरसायल सागर के नाम दर्ज होने के चलते गैरसायल सागर वगैरहा वादभूमि को बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के वादभूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिसके लिऐ उन्होने ग्राहक भी तलाश कर रखे है। यदि गैरसायलान वादभूमि को रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण करने में कामयाब हो जाते है तो सायलान को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

दरख्वास्त पेश होने के पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पैत्रक नहीं है। वाद भूमि पूर्णगिरी व सागर व उसके भाईयों द्वारा एवम पैदाकर्दा भूमि है जिनके नाम वाद भूमि दर्ज होने से पूर्व वही राजकीय भूमि हुआ करती थी जिसे कृषि योग्य बना काश्त की और राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकन करवाया। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह कथन की वाद भूमि विरासतन कर्ता खानदान होने के ताबे इन्तकाल दर्ज करवाया गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा जन्म से प्राप्त नहीं होता है। जब प्रार्थीगण का कानूनन कोई हक हिस्सा ही नहीं बनता तो उसके अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने का कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। वाद भूमि सागर की खातेदारी है जिसमें किसी का भी कोई हक कानूनी नहीं है।

अप्रार्थी सागर केन्सर रोग से पीडित है, पूरा परिवार सागर के साथ है, सागर एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो नफा नुकसान भला बूरा समझता है इसलिए प्रार्थीगण का यह कहना कि सागर बिना किसी जायज जरूरत के वाद भूमि खुर्द बुर्द करने पर आमादा है का कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है, बल्की यह वाद व प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 2 ने दूर्राश्य पूर्ण आश्य से पेश किया है ताकि सागर पर अन्यथा दबाब बनाकर कृषि भूमि हड़प कर सके। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थी विनोद ने दुर्भिसंधि कर पेश किया है वे न्यायालय में क्लीन हैड नहीं आये है इसलिए प्रार्थीगण को कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार कानूनी है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिले खारिजी के है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि वाद भूमि दादालाई सम्पति है जिसे अप्रार्थी बेचना चाहता है। पैसों की आवश्यकता नहीं है। पेंशन मिल रही है। सागर को उसके पिता से प्राप्त हुई है सागर के पोते का उसमें जन्मजात हक है। इस प्रकार दरख्वास्त प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि क्या अधिकार है? कितना अधिकारी है ? मैं वाद भूमि में खातेदार काश्तकार हुं। दादालाई सम्पति जो स्टेप बाई स्टेप आती है। यदि इनका कोई राईट है तो उसके हद तक कायम रखा जाऐ मैं कर्ता खानदान व रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हूं। इस प्रकार दरख्वास्त प्रार्थीगण खारिज किये का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादभूमि दादालाई पैतृक भूमि है। प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र के सजरा खानदान के अनुसार सागर के पांच पुत्र–पुत्रियां है जो इसके प्रथम श्रेणी वारिस है। वादीगण सागर के पुत्र विनोदकुमार के पुत्र है, जिनका वादभूमि में जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रार्थीगण का वादभूमि में जन्म से हक हिस्सा है, वादभूमि के रहन बैय मुन्तकिल होने से वाद बहुलता व वाद क्लिष्टता का जन्म होगा, जिससे प्रार्थीगण को असुविधा होगी व उनके हक हिस्सा पर प्रभाव पड़ेगा, इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति व असुविधा से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित है, मगर अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर अप्रार्थी सं0 1 का भी साबित है कि वादभूमि में अप्रार्थी सं0 1 का 1/6 हिस्सा प्रथम दृष्टया बनता है जिसका उपयोग–उपभोग मुन्तकिल करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 स्वतंत्र है।

अप्रार्थी सं0 1 गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित है जिसके इलाज हेतु यदि वह वादभूमि में से अपने कुल हिस्सा में से 1/6 हिस्सा तक मुन्तकिल करे तो यह उसका अधिकार है, इस गंभीर असाध्य बीमारी की स्थिति में अप्रार्थी को उसके हक हिस्सा के उपयोग–उपभोग से रोकने पर अप्रार्थी सं0 1 को अपूरणीय क्षति की संभावना है, इसलिए यह अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 दोनों के पक्ष में साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 26.011. 2018 को जारी आदेश संशोधित कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ताफैसला वाद जारी किया जाता है कि अप्रार्थी सं0 1 वाद भूमि रोही मौजा चक 9 बीएचडी के वर्तमान खाता सं0 122/114 के मु0नं0 45 किला नं0 3, 6 ता 8, 13 ता 16, 24 व 25 मु0नं0 60 के किला नं0 4 कुल किता 11 की 2.783 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी में अपने कुल हिस्सा में से 1/6 हिस्सा को रहन, बैय, मुन्तकिल की छूट रखते हुए वादभूमि को शेष हिस्सा रहन, बैय या अन्य दिगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करेंगा।

निर्णय आज दिनांक 27.2.19...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा